

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025/...../पं०रा० 48(आ०)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) (बांका,
बक्सर, गोपालगंज, खगड़िया एवं सीतामढ़ी को
छोड़कर) बिहार।

पटना, दिनांक 27/8/2024

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2026 के लिए निमित्त मल्टी ई०वी०एम० के सुरक्षित भंडारण/वेयर हाउस के मरम्मत एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य/सुविधाओं की आपूर्ति/प्रबंधन हेतु आवश्यक निधि के लिए भुगतान हेतु कार्यालय व्यय में कुल ₹3,36,08,022.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार बाईस रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2026 के लिए निमित्त मल्टी ई०वी०एम० के सुरक्षित भंडारण/वेयर हाउस के मरम्मत एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य/सुविधाओं की आपूर्ति/प्रबंधन हेतु आवश्यक निधि के लिए भुगतान हेतु विपत्र कोड-16-2015001090002 के "विषय शीर्ष-0002.13.01-कार्यालय व्यय" मद से कुल ₹3,36,08,022.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार बाईस रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

Amount in rupees		
Sr No.	Office Name	Allotment Amount
1	2	3
1	Araria	9,97,000.00
2	Arwal	13,52,500.00
3	Aurangabad	5,00,000.00
4	Begusarai	6,76,000.00
5	Bhagalpur	7,00,000.00
6	Bhojpur	5,00,000.00
7	Darbhanga	8,50,000.00
8	East Champaran	10,00,000.00
9	Gaya	12,68,000.00

10	Jamui	5,00,000.00
11	Jehanabad	5,00,000.00
12	Bhabhua (Kaimur)	6,01,665.00
13	Katihar	5,50,000.00
14	Kishanganj	18,00,000.00
15	Lakhisarai	5,74,178.00
16	Madhepura	3,02,600.00
17	Madhubani	22,00,000.00
18	Munger	9,50,000.00
19	Muzaffarpur	22,75,772.00
20	Nalanda	10,00,000.00
21	Nawada	7,19,300.00
22	Patna	15,00,000.00
23	Purnia	10,00,000.00
24	Rohtas	8,40,397.00
25	Saharsa	3,47,300.00
26	Samastipur	15,00,000.00
27	Saran	3,89,600.00
28	Sheikhpura	15,38,600.00
29	Sheohar	7,99,510.00
30	Siwan	25,00,000.00
31	Supaul	10,00,000.00
32	Vashali	13,55,000.00
33	West Champaran	10,20,600.00
Total		3,36,08,022.00

तीन करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार बाईस रुपये मात्र

2. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के अंतर्गत "विषय शीर्ष-0002.13.01-कार्यालय व्यय" मद से की जायेगी। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में संबंधित जिला कोषागार से करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. राशि का आवंटन इस शर्त के साथ दी जा रही है कि निर्वाचन मद में A.C विपत्रों के विरुद्ध की गई निकासी का D.C विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही राशि की निकासी की जायेगी।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025 के पृष्ठ संख्या99...../टि० पर दिनांक25/8/26 को प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

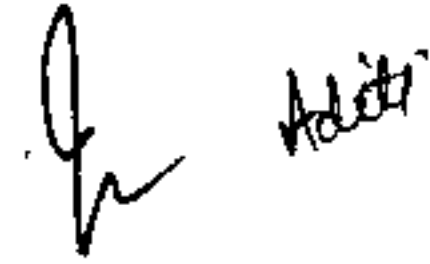
विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025/48(अन)/पं०रा०, पटना, दिनांक 27/8/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना /सचिव, राज्य निर्वाचन
आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत
राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी-06 (निर्वाचन) एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र
कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
27/8/26

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025/48(अन)/पं०रा०, पटना, दिनांक 27/8/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
विशेष सचिव
27/8/26


Addl